बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

विषयः—राज्य के नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मेडिकल कॉलेज अस्पताल से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तक (सभी स्तरों के अस्पतालों में) चिकित्सक से परामर्श हेतु पूर्व से समय निर्धारित करने की सुविधा के लिए ऑनलाईन निबंधन प्रणाली (Online Registration System) की व्यवस्था करते हुए मरीजों के लिए सरकारी अस्पतालों में बाह्य रोगी विभागों (OPD) में प्राप्त किये जा रहे शुल्कों (मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में (05) पांच रू0, जिला एवं अनुमंडलीय अस्पतालों में (02) दो रू0 एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में (01) एक रू0) को समाप्त (संजीवनी प्रणाली के तहत् OPD निबंधन काउंटरों को छोड़कर) किये जाने की स्वीकृति।

राज्य के विभिन्न स्तरों के सरकारी अस्पतालों में नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु राज्य मंत्रिपरिषद के अनुमोदन से, समय-समय पर, निर्गत निम्नलिखित संकल्पों के तहत मुफ्त दवा एवं बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु निर्णय लिये जाते रहे हैं:-

(i) संकल्प, ज्ञापांक 12/प०-01-06/2006-423 (प०क०) दिनांक 17.05.2006
(ii) संकल्प, ज्ञापांक 12/प०-01-06/2006-424 (प०क०) दिनांक 17.05.2006
(iii) संकल्प, ज्ञापांक 12/प०-01-06/2006-821 (प०क०) दिनांक 07.09.2006
(iv) संकल्प, ज्ञापांक 12/प०-01-06/2006-1100 (प०क०) दिनांक 06.12.2006

2. उपर्युक्त में से संकल्प, ज्ञापांक 424 (प०क०) दिनांक 17.05.2006 के तहत निर्णय लिया गया था कि-

(क) दवाओं के दुरूपयोग की संभावना को रोकने एवं इस व्यवस्था का अनुश्रवण करने के उद्देश्य से निम्नानुसार मरीजों से निबंधन शुल्क लिया जाय-

(i) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र - 1 रूपया (सिर्फ एक बार)
(ii) अनुमंडल/सदर अस्पताल- 2 रूपया (सिर्फ एक बार)
(iii) मेडिकल कॉलेज अस्पताल- 5 रूपया (सिर्फ एक बार)

(ख) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों एवं उनके परिवार के सदस्यों से कोई निबंधन शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(ग) निबंधन शुल्क से प्राप्त राशि रोगी कल्याण समिति के खाते में जमा होगी, जिसे समिति संबंधित अस्पतालों के मरीजों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए खर्च कर सकेगी।

(घ) राज्य स्वास्थ्य समिति मुफ्त मिलनेवाली दवाओं की सूची का व्यापक प्रचार-प्रसार करायेगी, ताकि आमलोगों को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। साथ ही, कौन-कौन सी शल्य क्रिया छोटे ऑपरेशन बड़े ऑपरेशन की श्रेणी में आयेगी उसे भी सूचीबद्ध करेगी एवं प्रसारित करेगी। अस्पताल के मुख्य दीवार पर इन औषधियों एवं सामग्री की सूची प्रमुख रूप से प्रदर्शित की जायेगी।

3. वर्तमान में संजीवनी साफ्टवेयर के माध्यम से स्वास्थ्य संस्थान स्तर पर ही मरीजों के OPD निबंधन कराने की व्यवस्था है। इसके लिए प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थान पर OPD निबंधन

काउन्टर की व्यवस्था है, जहाँ मरीजों का कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था के माध्यम से [illegible] किया जाता है और उन्हें प्रिन्टेड प्रेस्क्रीप्शन स्लिप मरीज का नाम, पता एवं computer generated Registration ID तथा चिकित्सक के नाम सहित निर्गत किया जाता है। इसके उपरांत मरीज प्रेस्क्रीप्शन स्लिप पर अंकित चिकित्सक के पास अपने उपचार हेतु उपस्थित होते हैं।

4. वर्तमान मे राज्य में प्रतिमाह प्रति स्वास्थ्य संस्थान ओ.पी.डी. का औसत 10,480 मरीज हैं। इस परिस्थिति में विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में संचालित संजीवनी प्रणाली अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन काउन्टर पर निबंधन कराकर प्रिन्टेड प्रेस्क्रीप्शन स्लिप प्राप्त करने हेतु काफी भीड़ रहती है। वर्त्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग एवं नागरिकों को सहज चिकित्सकीय सुविधा प्रदान करने हेतु मेडिकल कॉलेज अस्पताल से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक चिकित्सक से परामर्श हेतु पूर्व से समय निर्धारित करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रणाली की सुविधा उपलब्ध कराया जाना आवश्यक प्रतीत होता है, ताकि मरीज किसी भी स्थान से अपनी सुविधानुसार चिकित्सक से परामर्श हेतु स्वयं समय प्राप्त कर सकें एवं ऑनलाईन निबंधन प्रणाली से प्रिंटेड प्रेस्क्रीप्शन स्लिप प्राप्त कर संबंधित चिकित्सक से उपचार हेतु मिल सकें। स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सक से परामर्श हेतु ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था होने से ईलाज हेतु आने वाले व्यक्तियों को रजिस्ट्रेशन काउन्टर पर खड़ा नहीं रहना पड़ेगा, जिससे वहाँ भीड़ की स्थिति नहीं रहेगी। ऐसा होने से संजीवनी काउन्टर पर कार्यरत ऑपरेटर्स की कार्य क्षमता बढ़ेगी। इससे अस्पताल में बेहतर माहौल बनेगा तथा मरीजों की कठिनाई भी दूर होगी।

5. अतः सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि :-

(i) मेडिकल कॉलेज अस्पताल से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक (सभी स्तरों के अस्पतालों में) चिकित्सक से परामर्श हेतु पूर्व से समय निर्धारित करने की सुविधा के लिए ऑनलाइन निबंधन प्रणाली (Online Registration System) की व्यवस्था किया जाए, ताकि मरीज किसी भी स्थान से अपनी सुविधानुसार चिकित्सक से परामर्श हेतु स्वयं समय प्राप्त कर सकें। इस ऑनलाईन निबंधन प्रणाली के माध्यम से स्वास्थ्य संस्थानों में आने वाले मरीजों के लिए सरकारी अस्पतालों में बाह्य रोगी विभागों (OPD) में प्राप्त किये जा रहे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 05 (पाँच) रूपये, जिला एवं अनुमंडलीय अस्पताल में 02 (दो) रूपये एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 01 (एक) रूपया के निबंधन शुल्क की व्यवस्था को समाप्त किया जाता है।

(ii) सरकारी स्वास्थ्य संस्थान स्तर पर संजीवनी प्रणाली के तहत OPD निबंधन काउन्टर पर निबंधन कराने वाले मरीजों से पूर्व की भांति निबंधन शुल्क प्राप्त किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(संजय कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–12/प०क०–09–23/2018– /पटना, दिनांक / /2018
प्रतिलिपिः–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/ई–गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–12/प०क०–09–23/2018– /पटना, दिनांक / /2018
प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/मा0 मुख्यमंत्री के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–12/प०क०–09–23/2018– /पटना, दिनांक / /2018
प्रतिलिपिः–प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–12/प०क०–09–23/2018– /पटना, दिनांक / /2018
प्रतिलिपिः–कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना/निदेशक, इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना/सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल/सभी क्षेत्रीय उप–निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/सभी असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/सभी अधीक्षक, सदर अस्पताल, बिहार/सभी उपाधीक्षक अनुमंडलीय अस्पताल, बिहार/सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा0स्वा0केन्द्र, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–12/प०क०–09–23/2018– /पटना, दिनांक / /2018
प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–28.08.2018 में मद संख्या–04 के आलोक में की गई कार्रवाई के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–12/प०क०–09–23/2018– 766(12) /पटना, दिनांक 05/09/2018
प्रतिलिपिः–सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकरी/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं अन्य आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

5/9/2018
सरकार के प्रधान सचिव।